

मान्यता कोड : RJPAL21477

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)PALI, राजस्थान

क्रमांक: 21विपा/आ/साग/मा-या/17-18/1521

दिनांक 30/8/17

सचिव

प्रबंध समिति

SEERVI INTERNATIONAL SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 16566 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, SEERVI INTERNATIONAL SCHOOL पता KHASRA NO. 47/2, NIMBRIYA FARM HOUSE, VILLAGE - BHAKARWAS, TEHSIL - JAITARAN ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय SANGAWAAS ब्लॉक JAITARAN को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

मान्यता कोड : RJPAL21477

1522  
30/8/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरुप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,..... संभाग.....।
- 5 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक) पाली

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक) पाली

# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान



अजमेर

Temporary Registration ID : 2432

प्रेषक

सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,  
अजमेर

प्रेषित

प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य  
**SEERVI INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL**  
पता **BHAKARWAS , PALI**  
पिन कोड **306302**

क्रमांक - सम्बद्धता / 1201015

दिनांक 02-May-2018

## अस्थायी सम्बद्धता पत्र

महोदय/महोदया,

आपके विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमोन्नति आदेश के अनुसार सम्बद्धता समिति/ बोर्ड द्वारा विचार कर निम्नांकित विषयों एवं अध्याय 13 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य शर्तों पर माध्यमिक परीक्षा हेतु वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

स्थायी सम्बद्धता हेतु एक सितम्बर वर्ष 2021 तक प्रपत्र (ग) में ऑनलाइन आवेदन अवश्य कर दें। अन्यथा 1000 /- प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा तथा इस समय तक वर्तमान में लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार कमी पूर्ति हो जाना भी आवश्यक है।

विषय जिनमें अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गई है :-

अनिवार्य विषय : (1) Hindi (2) English (3) Science (4) Soc. Sci. (5) Maths (6) Rajasthan Addhyan (Rajasthan Study) (7) Physical and Health Education (8) Foundation of Information Technology (9) (i) SUPW AND CS (ii) Art Education

तृतीय भाषा : **Sanskrit**

माध्यम :- **ENGLISH**

भवदीय

2018-05-02

Rakesh Mathur

प्रभारी अधिकारी (सम्बद्धता)

संलग्न :- अध्याय 13 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य शर्तें